राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, कार्यक्रम
शासन सचिवालय, जयपुर

कमांक दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

.....

विषयः— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु जल संग्रहण ढांचो एवं बागवानी पौधारोपण का कार्य बडे पैमाने पर करवाने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भारत सरकार द्वारा ऋण माफी योजनान्तर्गत परिभाषित लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर जल संग्रहण ढांचों के निर्माण करवाने का प्रावधान है। राज्य में भारी एवं चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों जहां भूमि की नीचे की सतह कठोर है, ऐसे क्षेत्रों में खेत तलाई (फार्म पोण्ड) का निर्माण प्रचलित है जिनमें वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

इसी प्रकार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर जैसे नहरी क्षेत्रो मे डिग्गी निर्माण कार्य करवाये जाकर पानी का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है।

राज्य के अधिकांश जिलो मे जहाँ कुँओ/नलकुप से सिंचाई की जाती है वहां पर जलहोज का निर्माण नरेगा योजना अन्तर्गत कराया जा सकता है।

उपर्युक्त कार्यक्रमो को नरेगा योजना अन्तर्गत लिये जाने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है--

क0 सं0	पत्रांक एवं दिनांक	विषय
1	एफ 1(1)नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना/09–10 दिनांक 04.12.2009	नरेगा मे व्यक्तिगत लाभ की खेत तलाई/फार्म पोण्ड निर्माण के मॉडल एस्टीमेट के तहत् स्वीकृति ।
2	एफ 4( ) ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना/09–10 दिनांक 04.12.2009	नरेगा मे व्यक्तिगत लाभ अन्तर्गत टांका निर्माण के मॉडल एस्टीमेट के तहत् स्वीकृति।
3	एफ 4( ) ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना/09–10 दिनांक 04.12.2009	नरेगा मे व्यक्तिगत लाभ हेतु पानी की डिग्गी निर्माण के मॉडल एस्टीमेट के तहत् स्वीकृति।
4	एफ 4( ) ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./तकमीना/09–10 दिनांक 04.12.2009	नरेगा मे व्यक्तिगत लाभ अन्तर्गत बागवानी पौधारोपण कार्य के तहत् स्वीकृति।

उक्तानुसार जारी दिशा निर्देश मे मॉडल एस्टीमेट, विस्तृत तकमीना एवं स्वीकृति जारी करने का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया हैं । उर्पयुक्त सभी कार्यो यथा बागवानी पौधारोपण हेतु गढढे, डिग्गी, खेत तलाई एवं पानी का होज आदि का आकार जिले की भौगोलिक परिस्थितियों एवं इकाई लागत जिले की नरेगा बी.एस.आर. के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

जैसा कि आपको विदित है, वानिकी पौधारोपण, बागवानी, कृषि मिनिकिट एवं कृषि से जुडी अन्य गतिविधियों और अकाल प्रबन्धन की समीक्षा अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) द्वारा समय--समय पर विडियो कान्फरेन्सिंग के माध्यम से की जाती है। अब इन गतिविधियों के साथ साथ महानरेगा अन्तर्गत उक्त कार्यक्रमों की मोनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा भी अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) के स्तर पर की जाएगी।

आशा है आपने इन व्यक्तिगत लाभकारी कार्यो को आपके जिले की नरेगा की वार्षिक कार्य योजना मे सम्मिलित कर लिया होगा। उचित होगा कि आप स्वयं के स्तर पर जिले के लक्ष्य निर्धारित कर आगामी दो–तीन माह मे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत क्षेत्रो को चिन्हित कर कार्यो को मानसून से पूर्व पूर्ण कराऐ। जिससे आने वाले खरीफ में संरक्षित एवं संग्रहित जल का लाभ कृ--षकों को प्राप्त हो सके।

5/4/10

शासन सचिव एवं आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2– आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3– निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद .....
5– उप निदेशक कृषि (विस्तार) .....

5/4/10

शासन सचिव एवं आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा)
राजस्थान, जयपुर